



प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आनि एवं भूसुर में शहरी आवासविहीन परिवारों के लिए आवासीय परियोजना का उपहार

पात्रता

वैसे परिवार जो 17 जून 2015 के पूर्व से नगर निगम क्षेत्र में निवास करते हैं।

परिवार की सालाना आमदनी अधिकतम 3 लाख रु० हो।

आवेदक या उसके परिवार के नाम से भारत में कहीं पक्का मकान न हो।

लाभुक मिशन के विभिन्न घटकों में से किसी एक घटक का ही लाभ ले सकते हैं।

विशेषताएं

- लगभग 320 वर्ग फीट का घर
- बैंकों से आसान किशतों में लोन
- बिजली, पानी, आधारभूत संरचना
- लिफ्ट की सुविधा
- लिफ्ट की सुविधा
- रजिस्ट्री शुल्क एवं स्टांप ड्यूटी मात्र 1 रु. में

प्रति फ्लैट का आंतरिक विवरण

1 लिविंग रूम, 1 बेडरूम, 1 रसोई घर, 1 शौचालय,
1 बाथरूम एवं 1 बालकनी

► कुल आवास 4656 ► G + 8 संरचना



आनि एवं भूसुर किराया आधारित आवास परियोजना में पंजीकरण के लिए रांची नगर निगम या
टॉल फ्री नं०: 1800-120-2929 पर संपर्क कर सकते हैं।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जनहित में जारी।